



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक- 22.05.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 153/2024 धारा 498ए/323/504/506/302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-21.05.2024 को थाना खेकडा पर वादी सुधीर पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-



मोहित, 2-राहुल, 3-लोकेन्द्र पुत्रगण पीतम, 4-पीतम पुत्र कबूल व 02 महिला निवासीगण पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा उसकी पुत्री का दहेज के लिये उत्पीडन किया गया व उसके साथ मारपीट की तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी एवं उसकी पुत्री की जहर देकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 153/2024 धारा 498ए/323/504/506/302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 153/2024 धारा 498ए/323/504/506/302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-मोहित पुत्र पीतम निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-राहुल पुत्र पीतम निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-लोकेन्द्र पुत्र पीतम निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री राजवीर सिंह चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 यूटी दिग्विजय सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक- 22.05.2024

थाना बिनौली पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाडी पिकअप नं0 DL-1LAM-1027 जिसमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद बागपत में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 गाडी पिकअप नं0 DL-1LAM-1027 जिसमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0-140/24 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आशकीन पुत्र नवाव निवासी पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-सालिम पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी पुराना कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 गाडी पिकअप नं0 DL-1LAM-1027
- क्रूरता पूर्वक भरे हुए 06 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सुभाषचन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 आलोक तोमर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 429 प्रदीप भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।